



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Dr. Manoj Rajoria** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या.347 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	CHINMAY GOSWAMI	SH. NARENDRA GOSWAMI, MOB-9414219888, 9024459933	7	DHOLPUR
2	GUNJAN ANDANA	SH. VIKRAM SINGH ANDANA, MOB-9887765312, 9414585491	1	DHOLPUR
3	PURAV RAO	SH. HARENDRA RAO, MOB-9694412418, 7014634846	1	DHOLPUR
4	TANISHK UPADHYAY	SH. PAVAN KUMAR, MOB-7078326604	6	DHOLPUR
5	KANISHKA	SH. SHYAM SINGH, MOB-7976766055, 9784243232	1	DHOLPUR
6	NAVNEET RAJORIA	SH. VIJENDRA KUMAR RAJORIA, MOB-8875287152	8	DHOLPUR
7	POONAM GOSWAMI	SH. RAKESH GOSWAMI, MOB-9166509786, 8949452073	7	DHOLPUR
8	YASH PRATAP	SH. AJAY KUMAR, MOB-9351512001	2	DHOLPUR
9	DIVYANSHI SHARMA	SH. SUNIL SHARMA, MOB-9414886503	6	DHOLPUR
10	SAMARTH PARASHAR	SH. SATYENDRA PARASHAR, MOB-9875057555	6	DHOLPUR

कृ० पू० उ०

(Handwritten signature)
 प. ठाकुर

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Manoj Rajoria माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थी।
2. उपायुक्त, केविसं, JAIPUR संभाग को सूचनार्थी। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)